"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 612] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2022 — आश्विन 19, शक 1944

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 सितम्बर 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–10 / 2008 / 38–2. – छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 619 / पी.यू. / एस.एण्ड.ओ. / 2008 / 17228, दिनांक 22–08–2022 द्वारा मैट्स विश्वविद्यालय, गुल्लू, आरंग, जिला–रायपुर के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 117 तथा अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 138 एवं 139 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29 (2) के तहत् किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति संबंधित विभाग एवं नियामक / सांविधिक अभिकरण से अनुमति प्राप्त किये जाने की शर्त पर प्रदान करता है।

3. उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

नये प्रस्तावित अध्यादेश की अनुक्रमणिका

क्र.	अध्यादेश संख्या	पाठ्यक्रम का नाम जिसे जोड़ा जाना है	औचित्य
1.	अध्यादेश क्र.–138	डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी.फार्म)	नया पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है।

अध्यादेश 138

डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी.फार्म)

138. 1 भूमिका — यह अध्यादेश मैट्स विश्वविद्यालय के अध्यादेश डिप्लोमा इन फार्मेसी के रूप में जाना जाएगा जिसका संक्षिप्त नाम डी. फार्म होगा।

138. 2 शीर्षक : डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी.फार्म)

138. 3 संकाय : फार्मेसी संकाय

138. 4 अवधि : दो वर्ष (वार्षिक पद्वति, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) के नियमानुसार)।

138. 5 पात्रता : सीजी बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक एवं रसायन शास्त्र के साथ अनिवार्य विषय के रूप मे गणित/जीव विज्ञान में से कोई एक के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण या उपयुक्त परीक्षा के बराबर नियामक परिषद द्वारा अनुमोदित कोई अन्य योग्यता।

138. 6 सीटें : बुनियादी इकाई 60 सीटों की होगी।

138. 7 प्रवेश प्रक्रिया : प्रवेश मेरिट/प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।

138. 8 शैक्षणिक वर्ष : शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः प्रतिवर्ष जुलाई से जून तक होगा।

138. 9 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टीवी और रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अस्थायी प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:

1. आवेदन पत्र अपूर्ण है।
2. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

138. 10 शुल्क	प्रबंधन मंडल द्वारा तय की जाएगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, रायपुर द्वारा समय–समय पर यथा विनिश्चित।
138. 11 परीक्षा योजना :	विश्वविद्यालय परीक्षा अध्यादेश सं 29 के अनुसार एवं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) के नियमानुसार।
138. 12 पाठ्यक्रम संरचना:	फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) के नियमानुसार अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं एकेडमिक काउंसिल द्वारा अनुमोदित।
138. 13 सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा।
	किसी विवाद की दशा में, मामलों का विनिश्चय छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन किया जायेगा।

नये प्रस्तावित अध्यादेश की अनुक्रमणिका

क्र.	अध्यादेश संख्या	पाठ्यक्रम का नाम जिसे जोड़ा जाना है	औचित्य
1.	अध्यादेश क्र. –139	**बैचलर इन फार्मेसी (बी.फार्म)**	नया पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है।

अध्यादेश 139

बैचलर इन फार्मेसी (बी.फार्म)

139. 1 भूमिका — यह अध्यादेश मैट्स विश्वविद्यालय के अध्यादेश बैचलर इन फार्मेसी के रूप में जाना जाएगा जिसका संक्षिप्त नाम बी. फार्म होगा।

139. 2 शीर्षक : बैचलर इन फार्मेसी (बी.फार्म)

139. 3 संकाय : फार्मेसी संकाय

139. 4 अवधि : चार वर्ष (आठ सेमेस्टर)

139. 5 पात्रता : सीजी बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक एवं रसायन शास्त्र के साथ अनिवार्य विषय के रूप मे गणित/जीव विज्ञान में से कोई एक के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण या उपयुक्त परीक्षा के बराबर नियामक परिषद द्वारा अनुमोदित कोई अन्य योग्यता।

139. 6 पार्श्व प्रवेश: डिप्लोमा में उत्तीर्ण छात्र पार्श्व प्रवेश हेतु तीसरे सेमेस्टर में पात्र होगा।

139. 7 सीटें : बुनियादी इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई को अधिकतम 100 सीटों तक बढ़ाया जा सकेगा।

139. 8 प्रवेश प्रक्रिया : प्रवेश मेरिट/प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।

139. 9 शैक्षणिक वर्ष : शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः प्रतिवर्ष जुलाई से जून तक होगा।

139. 10 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टीवी और रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अस्थायी प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है: .

1. आवेदन पत्र अपूर्ण है।
2. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

139. 11 शुल्क — प्रबंधन मंडल द्वारा तय की जाएगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, रायपुर द्वारा समय–समय पर यथा विनिश्चित।

139. 12 परीक्षा योजना : विश्वविद्यालय परीक्षा अध्यादेश सं 29 के अनुसार एवं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) के नियमानुसार।

139. 13 पाठ्यक्रम संरचनाः फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) के नियमानुसार अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं एकेडमिक काउंसिल द्वारा अनुमोदित।

139. 14 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा।

किसी विवाद की दशा में, मामलों का विनिश्चय छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन किया जायेगा।

अटल नगर, दिनांक 23 सितम्बर 2022

क्रमांक एफ 3–10/2008/38–2. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23–09–2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

Atal Nagar, the 23rd September 2022

NOTIFICATION

No. F 3-10/2008/38-2. – Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 619/PU/S&O/2008/17228, Dated 22-08-2022 has approved the amendment of Ordinance No. 117 and the New Ordinance No. 138 & 139 of Mats University, Gullu, Aarang, District-Raipur, Under Section 29(2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinances in Official Gazette on the condition of obtaining permission from the concerned Department and Regulatory/Statutory Body.

3. The above Ordinances shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHUVANESH YADAV, Secretary.

Ordinance 138

Diploma in Pharmacy (D. Pharm)

138.1. Introduction:	This Ordinance shall be known as MATS University Ordinance for Diploma in Pharmacy abbreviated as D. Pharm
138.2. Title:	Diploma in Pharmacy (D. Pharm)
138.3. Faculty:	Pharmacy
138.4. Duration:	Two Years (Annual Pattern, as per PCI norms)
138.5. Eligibility:	Passed 10+2 examination from CG Board of Higher Secondary Education or any other recognized Board of Higher Secondary with Physics and Chemistry as compulsory subjects along with Mathematics and/or Biology or any other qualification approved by the regulatory council (PCI) as equivalent.
138.6. Seats:	The basic unit will be of 60 seats.
138.7. Admission Procedure:	Admission shall be granted on the basis of Merit/ Entrance Examination. Reservation policy of the state government shall be adhered to.
138.8 Academic year:	The academic session generally will be from July to June every year.
138.9. Selection Procedure:	The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the university, University website and in other publicity media before the start of every cycle. The list of candidate selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The centre will also display the university's selected list. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheets or Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

The admission may be rejected due to following reasons:

1. The application form is incomplete in anyways.

2. The fees is not paid by the due date.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
4. Wrong information is provided in the application form.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

138.10. Fees: The Course fees will be as decided by the Board of Management and approved by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

138.11. Examination Scheme: The University Examination Ordinance 29, and as per the PCI norms.

138.12. Course Structure: As framed by the Board of Studies and approved by the Academic Council, as per PCI norms.

138.13. General: In all matters, pertaining to the courses, decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic council the Vice-Chancellor will be competent to change the system/pattern of Examination.

In case of any dispute, the matter shall be decided under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

Ordinance 139

Bachelor in Pharmacy (B. Pharm)

139.1. Introduction:	This Ordinance shall be known as MATS University Ordinance for Bachelor in Pharmacy abbreviated as B. Pharm
139.2. Title:	Bachelor in Pharmacy (B. Pharm)
139.3. Faculty:	Pharmacy
139.4. Duration:	Four Years (Eight semesters)
139.5. Eligibility:	Passed 10+2 examination from CG Board of Higher Secondary Education or any other recognized Board of Higher Secondary with Physics and Chemistry as compulsory subjects along with Mathematics and/or Biology or any other qualification approved by the regulatory council (PCI) as equivalent.
139.6. Lateral Entry:	Passed Diploma examination in appropriate Programme and to be admitted in third semester course.
139.7. Seats:	The basic unit will be of 60 seats. The intake can also be increased upto 100 seats.
139.8. Admission Procedure:	Admission shall be granted on the basis of Merit/ Entrance Examination. Reservation policy of the state government shall be adhered to.
139.9 Academic year:	The academic session generally will be from July to June every year.
139.10. Selection Procedure:	The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the university, University website and in other publicity media before the start of every cycle. The list of candidate selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The centre will also display the university's selected list. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheets or Degree certificates, as a proof for

required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

The admission may be rejected due to following reasons:

1. The application form is incomplete in anyways.
2. The fees is not paid by the due date.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
4. Wrong information is provided in the application form.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

139.11. Fees: The Course fees will be as decided by the Board of Management and approved by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

139.12. Examination Scheme: The University Examination Ordinance 29, and as per the PCI norms.

139.13. Course Structure: As framed by the Board of Studies and approved by the Academic Council, as per PCI norms.

139.14. General: In all matters, pertaining to the courses, decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic council the Vice-Chancellor will be competent to change the system/pattern of Examination.

In case of any dispute, the matter shall be decided under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

सचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.